

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No.2012/H-1/12/1/Dental/Policy

New Delhi, dated 30.08.2013

The General Managers,
All Indian Railways/PUs.

Sub: Expansion of the list of the Dental procedures for Railway beneficiaries and extension to the arrangement relating to provision of reimbursement of expenditure incurred on the Dental treatment.

Ref: Board's letter of even no. dated 14.12.2012.

In continuation of Board's letter dated 14.12.2012, the matter regarding delegation of powers to Zonal Railways regarding reimbursement of Dental procedure not included in the CGHS List, has been examined in consultation with Finance Directorate in Board's office.

It has now been decided that at present reimbursement may be restricted to CGHS approved dental procedures and rates only.

Further, zonal Railways may reimburse the expenditure incurred on other dental procedures which are not included in CGHS lists, if done at the nearest Government Dental College/Hospital as per the charges levied by such institutions (This should not include material and lab charges from outsourced private agencies).

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.


(Dr.D.P.Pandey)

Executive Director/H(P)
Railway Board

No. 2012/H-1/12/1/Dental/Policy

New Delhi, dated 30.08.2013

1. The Director of Audit, All Indian Railways/PUs.

2. The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 222, RailBhavan, New Delhi



for Financial Commissioner/Railways

Copy for F (E) Spl., Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2012/एच-1/12/1/डेन्टल/पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2013

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: रेलवे लाभार्थियों के लिए दंत प्रक्रिया की सूची का विस्तार तथा दंत चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रावधान से संबंधित व्यवस्था का विस्तार।


संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 14.12.2012 का समसंख्यक पत्र ।

बोर्ड के दिनांक 14.12.2012 के पत्र के क्रम में, सीजीएचएस की सूची में शामिल न की गई दंत प्रक्रिया की प्रतिपूर्ति के बारे में क्षेत्रीय रेलों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने से संबंधित मामले पर बोर्ड कार्यालय के वित्त निदेशालय के परामर्श से जांच की गई है।

अब यह विनिश्चय किया गया है कि फिलहाल प्रतिपूर्ति को सीजीएचएस द्वारा अनुमोदित दंत प्रक्रिया तथा दरों तक ही सीमित किया जाए।

इसके अलावा, यदि अन्य दंत प्रक्रियाएं नजदीकी सरकारी दंत कॉलेज/अस्पताल में की जाती हैं तो ऐसे संस्थानों द्वारा वसूल किए गए प्रभारों (इसमें आउटसोर्स की गई प्राइवेट एजेंसियों से ली गई सामग्री और लैब प्रभार शामिल नहीं होने चाहिए) के अनुसार क्षेत्रीय रेलों द्वारा उन दंत प्रक्रियाओं, जो सीजीएचएस की सूचियों में शामिल नहीं हैं, पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।



(डॉ० डी.पी.पांडे)

कार्यपालक निदेशक/स्वास्थ्य (पी)
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2013

सं. 2012/एच-1/12/1/डेन्टल/पॉलिसी

1. निदेशक लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के उप-नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली ।


कृते विस्त आयुक्त/रेलें